आर्थिक अपराध इकाई, डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह पथ, बिहार, पटना के कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई संबंधी निविदा :–

निविदा आमंत्रण सूचना–01/2023–24

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के (1) कार्यालय भवन एवं परिसर तथा (2) स्टेट साईबर क्राईम फोरेन्सिक लेबोरेट्री सह ट्रेनिंग सेन्टर की सफाई के लिए मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है, नई निविदा की शर्त इस प्रकार है :–

1. आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय के मुख्य भवन एवं आ0अप0 इकाई थाना का नया भवन एवं स्टेट साईबर क्राईम फोरेन्सिक लेबोरेट्री सह ट्रेनिंग सेन्टर (दोनों भवनों) के सभी बाथरूम, कार्यालय कक्षों, सभाकक्ष, मालखाना, सभी उपस्कर एवं परिसर की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस को की जायेगी। साथ ही छुट्टियों के दिन कार्यालय खुले होने की स्थिति में उक्त तिथि को भी सफाई की जायेगी।
2. सफाई का कार्य कार्यालय प्रारम्भ होने के समय 09:30 बजे अपराह्न तक पूर्ण कर देना (पूरा कर देना होगा) सफाई कार्य दिवा हवलदार की देख–रेख में एवं उनकी संतुष्टि के अनुसार करनी होगी।
3. निविदा दाता को कार्यालय की सफाई के लिए दस (10) सफाई कर्मी प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि (06:00 बजे अपराह्न) तक रखना अनिवार्य होगा।
4. निविदा दाता को आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पहचान हेतु सभी कर्मचारियों की पहचान पत्र एंव पोषाक देना होगा तथा सभी कर्मियों का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर कार्यालय में समर्पित करना होगा।
5. सफाई हेतु सभी सामानों की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जायेगी।
6. सफाईकार्य की निविदा अवधि/दर (1) एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में संविदा को कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
7. निविदा दाता को सफाई कार्य करवाने का अनुभव कम से कम 03 वर्ष का होना चाहिए।
8. निविदा दाता के सफाई कर्मी द्वारा लापरवाही से सरकारी सम्पति की क्षति पहुंचाने की स्थिति में क्षति की पूर्ण भरपाई निविदा दाता को करनी होगी।
9. अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में वेतन की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
10. सफल निविदा दाता को इकाई के साथ एकरारनामा अवधि में कार्य समाप्त करने के लिए एक माह पूर्व सूचित करना होगा।
11. सफल निविदा दाता द्वारा, सफाईकर्मियों को सप्ताह के सातों दिनों का मानदेय देय होगा।
12. भुगतान की गई राशि पर नियमानुसार GST कटौती की जाएगी।
13. बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या–5/एम0डब्लू0–40–16/2021 श्र0सं0–1687 एवं 1688, दिनांक–31.03.2023 के आलोक में न्यूनतम मजदूरी (अर्द्धकुशल 403/–रूपया प्रतिदिन) तय की गई है। उसी के अनुरूप इच्छुक उम्मीदवार अपना–अपना निविदा समर्पित करेगें।
   बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प पत्रांक–एम–4–06/2023, 2988/वि0, दिनांक–23.03.2023 के आलोक में निम्नांकित शर्त्ते पुरी की जानी हैः–
14. आउटसोसिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी। इसी आधार पर निविदा आमंत्रित की जायेगी।
15. उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यूनतम एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।
16. निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यय से निविदा का निष्पादन किया जायेगा तथा इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायी जायेगी। निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा।
17. मानव बल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नही बनाया जायेगा।
18. चयनित एजेंन्सी द्वारा सेवा प्रदान कर रहें मानव बल को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना

आवश्यक होगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में Real Time Gross Settlement (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंन्सी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अन्दर संबंधित एजेंन्सी द्वारा किया जायेगा। संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

19. आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

20. न्यूनतम मजदूरी से कम समर्पित किये गये निविदादात्ता का निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तो के आलोक में इच्छुक व्यक्ति अपना–अपना मुहर बंद निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक–30.06.2023 के अपराह्न 14:00 बजे तक निश्चित रूप से जमा कर दें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।

सभी निविदायें दिनांक–30.06.2023 को 14:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार होगा।

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक 6421/जी0पी0,
आर्थिक अपराध इकाई,बिहार,पटना।

पटना, दिनांक–14/06/2023

प्रतिलिपिः–1. पुलिस महानिरीक्षक (मु0), बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संविदा को पुलिस मुख्यालय के सूचना–पट पर लगाने के संबंध में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को इसकी सूचना पटना शहर में प्रचारित/प्रसारित करने के संबंध में प्रेषित।

3. मुख्य कार्यालय पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना को सूचनापट्ट पर लगाकर इसकी सूचना प्रचारित/प्रसारित करने हेतु सादर प्रेषित।

4. सूचनापट्ट, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के माध्यम से प्रचारित करने हेतु।

5. श्री प्रीतम कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, वेबसाईट प्रभारी,पुलिस मुख्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचना एवं प्रकाशन करने के संबंध में कृपया आवश्यक क्रियार्थ।

7. आई0टी0मनेजर, पुलिस मुख्यालय, पटेल भवन को सॉफ्ट कॉपी/हार्ड हॉपी के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक क्रियार्थ।

14/6/2023

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार,पटना।